

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
शुद्धि-पत्र

पटना-15, दिनांक: 31 जुलाई, 2017

संख्या-1/पी0-1001/2016 (खण्ड-1)-सा0प्र0- 9768/ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या- 1/पी0-1001/2016 (खण्ड-1) -सा0प्र0 - 9759 दिनांक 31.07.2017 के तृतीय एवं चतुर्थ पंक्ति में अंकित "पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी जिला" के स्थान पर "लखीसराय जिला" प्रतिस्थापित किया जाता है।

2. तदनुसार उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

वेद
31.7.17

(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-1/पी0-1001/2016 (खंड-1)-सा0प्र0- 9768/पटना-15, दिनांक: 31 जुलाई, 2017

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना)/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/राज्यपाल बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्य मंत्री बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित सभी विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-सम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 6 एवं 12 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वेद

31.7.17

सरकार के अवर सचिव